पत्र सं0– वि0अनु0शा0/स0प0/2016–2017/ 3547 वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(वि0अनु0शा0–अनुभाग)
लखनऊः दिनॉकः: फरवरीः 10 ,2017

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर,
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा निर्वाचन 2017 में प्रत्याशियों द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में टेंट, पण्डाल , कैटरर्स, वाहन, बैनर्स/पोस्टर आदि का भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है इसके लिए उनके द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय से अनुमति प्राप्त की जाती है। विभिन्न आयोजन स्थलों की सूचियां तथा निर्वाचन व्यय हेतु टेंट पण्डाल एवं अन्य वस्तुओं की दरें जिलाधिकारी कार्यालय (निर्वाचन) से प्राप्त करते हुए उसके आधार पर आकलन कर इन वस्तुओं पर देय वैट की वसूली सुनिश्चित करायी जाये।

इसी प्रकार उक्त प्रत्याशियों द्वारा पेपर एवं स्टेशनरी, प्रिन्टेड मैटेरियल, पोस्टर एवं बैनर, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, आटोमोबाइल्स, होटल रेस्टोरेन्ट एण्ड कैटरिंग आदि का भी भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा होगा। इनसे जुड़े डीलर्स पर भी सघन निगरानी रखते हुये कर रक्षण का प्रयास किया जाये।

10/02/17
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।